न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 39/2023/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांकः 04.12.2023
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. रामेश्वर पोखरा आत्मज घनश्याम लाल पोखरा जाति महाजन निवासी हट्टीपुरा हाल निवासी विकासनगर, बून्दी
2. सुरेश कुमार गुप्ता आत्मज घनश्याम पोखरा जाति महाजन निवासी हट्टीपुरा हाल निवासी विकास नगर, बून्दी

...अपीलार्थी

बनाम

1. पटवार भवन पटवार मण्डल हट्टीपुरा बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी, जरिये तहसीलदार बून्दी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी, जिला बून्दी

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.07.2024

अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालय धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए एवं अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत पटवार भवन, पटवार मण्डल, हट्टीपुरा के निर्माण हेतु आराजी खसरा संख्या 355/43 रकबा 0.1923 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम हट्टीपुरा तहसील व जिला बून्दी में से 0.1538 हैक्टेयर भूमि (पृष्ठांकित नक्शा अनुसार) आदेश संख्या 551 दिनांक 06.04.2023 से आवंटित किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थना–पत्र धारा 96सीपीसी के साथ अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने का अनुरोध करते हुए यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी ने ग्राम हट्टीपुरा तहसील बून्दी जिला बून्दी की खसरा संख्या 355/43 रकबा 0.1923 हैक्टेयर भूमि में से 0.15338 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालय धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए एवं अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत पटवार भवन, पटवार मण्डल, हट्टीपुरा के निर्माण हेतु) आदेश संख्या 551 दिनांक 06.04.2023 से आवंटित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश प्रदान करने में

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

त्रुटि की है, उपरोक्त भूमि पर अपीलांट का गत 32–33 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के नियमित किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रखा था। अपील विषयक खसरा संख्या 355/43 की उपरोक्त भूमि अपीलांट न0 1 के खाते की खसरा संख्या 356/43 एवं अपीलांट नं0 2 के खाते की खसरा संख्या 44 की 2.69 हैक्टेयर भूमि से लगी हुई है एवं मध्य में उक्त भूमि अपीलांट के खाते की भूमि से लगवा समीपवर्ती भूमि है, भू–पटटी के रूप में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का उपरोक्त भूमि के नियमन के प्रार्थना–पत्र को स्वीकर नहीं कर जेअरपील आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलांट का विषयक आराजी पर 32–33 वर्षों से निरन्तर कब्जो चले आ रहा है इस कारण अपीलांट का उक्त भूमि में हित निहित है। अतः प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की इजाजत प्रदान कर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे।

2 प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी पर रेस्पो0 की आपत्ति सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का गत 32–33 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के नियमित किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रखा था। अपील विषयक खसरा संख्या 355/43 की उपरोक्त भूमि अपीलांट न0 1 के खाते की खसरा संख्या 356/43 एवं अपीलांट नं0 2 के खाते की खसरा संख्या 44 की 2.69 हैक्टेयर भूमि से लगी हुई है एवं मध्य में उक्त भूमि अपीलांट के खाते की भूमि से लगवा समीपवर्ती भूमि है, भू–पटटी के रूप में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का उपरोक्त भूमि के नियमन के प्रार्थना–पत्र को स्वीकर नहीं कर जेअरपील आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2023 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपीलांट के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलधीन आदेश न्यायिक आदेश न होकर प्रशासनिक आदेश है। प्रशासनिक आदेश अपील योग्य न होकर पुनरीक्षण योग्य होने से न्यायालय हाजा में अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

5 हमने अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित आलौच्य जेर अपील आदेश का अवलोकन कर बहस उभय पक्षकार पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा जेर अपील आदेश संख्या 551 दिनांक 06.04.2023 राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालय धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए एवं अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत पटवार भवन, पटवार मण्डल, हट्टीपुरा के निर्माण हेतु आराजी खसरा संख्या 355/43 रकबा 0.1923 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम हट्टीपुरा तहसील व जिला बून्दी में से 0.1538 हैक्टेयर भूमि (पृष्ठांकित नक्शा अनुसार) आदेश संख्या 551 दिनांक 06.04.

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2023 से आवंटित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 96सीपीसी के साथ अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने का अनुरोध करते हुए अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

6 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का गत 32–33 वर्षों से निरन्तर कब्जा होने तथा अपीलांट द्वारा उक्त भूमि को नियमित किये जाने के लिए उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत भी उनको आवंटन/नियमन नहीं कर जेरअपील आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य होना बताया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया की आक्षेपित आदेश राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत पटवार भवन, पटवार मण्डल, हट्टीपुरा के निर्माण हेतु आराजी खसरा संख्या 355/43 रकबा 0.1923 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम हट्टीपुरा तहसील व जिला बून्दी में से 0.1538 हैक्टेयर भूमि (पृष्ठांकित नक्शा अनुसार) आवंटित की गई हैं। उक्त आदेश न्यायिक आदेश न होकर प्रशासनिक आदेश है, जो अपील योग्य न होकर सक्षम न्यायालय में पुनरीक्षण योग्य होने से राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत अपील खारिज योग्य हैं। उभय पक्षकारान के तर्क के संबंध में आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा जेरअपील आदेश राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अधीन पारित आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं होकर केवल निगरानी प्रस्तुत की जा सकेगी। राज0 सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा इस संबंध में अधिकार माननीय राजस्व मण्डल को स्थानान्तरित कर दिये हैं। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी के आक्षेपित आदेश के विरूद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की है, जो उपर्युक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में पोषणीय नहीं हैं। राज0 भू राजस्व अधिनियम की प्रथम अनुसूची (धारा 23) ''न्यायिक मामलों की सूची'' के अनुसार आक्षेपित आदेश न्यायिक आदेश नहीं हैं। बल्कि गैर न्यायिक एक प्रशासनिक आदेश है जो पुनरीक्षण योग्य होने से पैरोकार सरकार का उक्त तर्क विधिसम्मत प्रकट होता हैं। उपर्युक्त विश्लेषण के संदर्भ में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से काबिल निरस्तनीय हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती हैं।

7 निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा